रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 31, 1994/माघ 11, 1915
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 31, 1994/MAGHA 11, 1915

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 45(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1994 है ।

(2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1986 के नियम 3 में संक्षेपण व अंक "7300-100-7600 रुपये" के स्थान पर संक्षेपण व अंक—"7300-200-7500-250-8000 रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[संख्या ए-11014/3(1)/93-ए.टी.]

सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 22 अगस्त, 1986 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1015(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में

(i) दिनांक 4-4-88 के सा.का.नि. संख्या 424 (ई)

(ii) दिनांक 13-12-89 के सा.का.नि. संख्या 1046ई

(iii) दिनांक 19-8-92 के स.का.नि. संख्या 729(ई) द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel, and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1994

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hedeby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 namely :—

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowance and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules 1986, for the abbreviation and figures "Rs. 7300-100-7600", the abbreviation and figures "Rs. 7300-200-7500-250-8000" shall be substituted.

[No. A. 11014/3(i)/93-AT]
SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal Rules were published vide GSR 1015(E), dated the 22nd August, 1986 in the Gazette of India and subsequently amended vide :—

(i) No. GSR 424(E), dated 4-4-1988.

(ii) No. GSR 1046(E), dated 13-12-1989.

(iii) No. GSR 729(E), dated 19-8-1992.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

सा.का.नि. 46(अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1989 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. (1) इन नियमों का नाम आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1994 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1989 के नियम 3 में संक्षेपण व अंक "7300-100-7600 रुपये" के स्थान पर संक्षेपण व अंक—"7300-200-7500-250-8000 रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएं ।

[संख्यां ए-11014/3 (ii) 93-ए.टी.]
सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 26 अक्तूबर, 1989 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 930(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 29 जनवरी, 1991 के सा.का.नि. सं. 52(ई) द्वारा संशोधित किए गए थे ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1994

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hedeby makes the following rules further to amend the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Andhra Pradesh Administrtative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Andhra Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1989, for the abbreviation and figures "Rs. 7300-100-7600", the abbreviation and figures "Rs. 7300-200-7500-250-8000", shall be substituted.

[No. 11014/3(ii)/93-AT]
SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal Rules were published vide GSR 930(E), dated the 26th October, 1989 in the Gazette of India and subsequently amended vide No. GSR 52(E), dated 29th January, 1991.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994

सा.का. नि. 47 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 में और आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है:—

1. (1) इन नियमों का नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) संशोधन नियमावली, 1994 है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त समझे जाएंगे ।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियमा-

वली, 1988 के नियम 3 में संक्षेपण व अंक "7300-100-7600 रुपये" के स्थान पर संक्षेपण व अंक—"7300-200-7 500-250-8000 रुपय" प्रतिस्थापित किए जाएं।

[संख्या ए-11014/11/93-ए.टी.]

सरिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम दिनांक 29 जून, 1988 के भारत के राजपत्र में सा. का. नं. 756(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा बाद में दिनांक 13 दिसम्बर, 1989 के सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 1047(ई) द्वारा संशोधित किए गए।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 1994

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hedeby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 3 of the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988, for the abbreviation and figures "Rs. 7300-100-7600", the abbreviation and figures "Rs. 7300-200-7500-250-8000", shall be substituted.

[No. 11014/11/93-AT]

SARITA PRASAD, Jt. Secy.

Foot note :—The Principal Rules were published vide GSR 756(E), dated the 29th June, 1988 in the Gazette of India and subsequently amended vide notification No. GSR 1047(E), dated 13th December, 1989.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994

IndiaCode